


65/22
8/8/22

फर्द अहकाम
अज अदालत -जिला कलक्टर,-मुकाम -भरतपुर
मौनू शर्मा बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी परिवहन अधि० भरतपुर
किस्म मुकदमा-अपील आर.टी.आई. नम्बर 65 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
08.08.2022	<p>प्रार्थी/अपीलान्त मौनू शर्मा पुत्र गंगाराम शर्मा जौहरी हॉस्पिटल के बगल में सरकूलर रोड, शिव नगर कालौनी भरतपुर ने आर टी आई के तहत यह अपील सहायक लोक सूचना अधिकारी परिवहन विभाग भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपील के साथ सलंगन फोटो प्रति पत्रादि से जाहिर है कि प्रार्थी ने आर.टी.आई. के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र में सहायक लोक सूचना अधिकारी परिवहन विभाग भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण, आरटीआई के तहत यह अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।</p> <p>आर.टी.आई. एक्ट के तहत सहायक लोक सूचना अधिकारी जिला परिवहन अधिकारी भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भरतपुर को है। अतः प्राप्त मूल अपील को लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भरतपुर को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"> जिला कलक्टर भरतपुर सिविल</p>	